रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 1982/पौष 22, 1903
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 1982/PAUSA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1982

का.आ. 15(अ) .—केन्द्रीय सरकार, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि द्वारका, पोरबंदर, मुम्बई, रत्नागिरि, मंगलोर, वास्को-डि-गामा, कोचीन, रामनाथपुरम,

मद्रास, विशाखापटनम, जगतसिंहपुर, तामलुक और पोर्ट ब्लेयर, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए स्थान होंगे ।

[फा. सं. 29012/2/81-एफ. वाई. (टी. 1)]

के.सी.एस. आचार्य, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 1982

S.O. 15(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), the Central Government hereby directs that Dwarka, Porbander, Bombay, Ratnagiri, Mangalore, Vasco-da-gama, Cochin, Ramanathapuram, Madras, Visakhapatnam, Jagatsinghpur, Tamluk and Port Blair shall be the places for purposes of the said section.

[F. No. 29012|2|81 Fy(T-1)]

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982